संख्याः– 449/1-11-2015/-13(जी)2015 -

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनॉक :: 16 नवम्बर, 2015

राजस्व अनुभाग–11

विषयः–आपदा न्यूनीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सेण्डाई (जापान) में आयोजित कान्फ्रेन्स में वर्ष 2015 से वर्ष 2030 तक के लिये तैयार किये गये ऐक्शन प्लान के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपदाओं से ना केवल जन–धन की हानि होती है बल्कि इसका प्रदेश के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुशल आपदा प्रबंधन प्रदेश के समृद्धि और विकास के लिये आवश्यक है। इसी कम में आपदा जोखिम की पहचान व इससे बचाव के प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जाना कुशल आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम तत्वों की पहचान तथा न्यूनीकरण के उपायों आदि के परिपेक्ष्य में विभिन्न स्तरों से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जा रहा है।

2– अंतराष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किये गये विविध प्रयासों के कम में जापान के ह्योगो शहर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर हुए कानफ्रेन्स में "ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन" तैयार किया गया था जिसे वर्ष 2005 से 2015 तक सदस्य देशों द्वारा कियान्वित किया जा रहा था। इसी कम में मार्च, 2015 में सेंडाई, जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर तृतीय विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आपदा न्यूनीकरण हेतु सेण्डाई फ्रेमवर्क फॉर ऐक्शन (2015-2030) तैयार किया गया है।

3– उत्तर प्रदेश आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य है। प्राकृतिक आपदाओं को घटित होने से रोका नही जा सकता परंतु बेहतर प्रबंधन एवं पूर्व तैयारी से जन–धन की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अतः सेन्डाई कार्ययोजना (2015–2030) के कियान्वयन के संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स को इससे परिचित कराने के निर्देश के कम में दिनांक 08 सितम्बर, 2015 को उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा "उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन एवं आपदा न्यूनीकरण" विषय पर एकदिवसीय राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कान्फ्रेन्स में समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कान्फ्रेन्स में सेण्डाई

फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (2015-2030) में निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा जनपदों द्वारा इसके कियान्वयन किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– प्रदेश की आपदा संवेदनशीलता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि आपदा न्यूनीकरण के संबंध में सेण्डाई फ्रेमवर्क में निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को त्वरित कियान्वित किया जाये। संक्षेप में सेंडाई, जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर हुये तृतीय विश्व सम्मेलन में आपदा न्यूनीकरण हेतु जारी किये गये सेण्डाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (2015-2030) के अंर्तगत मुख्य रूप से निम्नलिखित चार प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी है:–

प्राथमिकता 1 – आपदा जोखिम को समझना।

प्राथमिकता 2 – आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु शासकीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना।

प्राथमिकता 3– आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में निवेश।

प्राथमिकता 4– प्रभावी प्रत्युत्तर हेतु आपदा तैयारी को बढ़ाना।

5– इसी प्रकार कान्फ्रेन्स में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन हेतु मुख्य रूप से सात लक्ष्य निर्धारित किये गये है जो इस प्रकार है:–

प्रथम लक्ष्य– वर्ष 2030 तक आपदाओं से होने वाली मृत्यु–दर को कम करना।

द्वितीय लक्ष्य– प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना।

तृतीय लक्ष्य– आपदा से होने वाली प्रत्यक्ष आर्थिक हानि को कम करना।

चतुर्थ लक्ष्य– आधारभूत सेवाओं को ठप होने से बचाना एवं अत्यावश्यक संरचनाओं को होने वाली क्षति को कम करना।

पाचवां लक्ष्य– आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु स्थानीय रणनीति का विकास करना।

छठा लक्ष्य– विकासशील देशों में इस फ्रेमवर्क के कियान्वयन हेतु अंतराष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देना।

सातवां लक्ष्य– आपदा पूर्व चेतावनी तथा आपदाओं की सूचना सबको प्राप्त हो, इस हेतु तंत्र विकसित करना।

5– सेन्डाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की संस्तुतियों को संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि प्रदेश में कुशल आपदा प्रबंधन के इस महत्वपूर्ण आयाम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये इसका पूर्ण कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

10/11

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

सेनडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015–2030 की अनुसंशायें (Recommendation)

जापान के सेनडाई में 14–18 मार्च, 2015 को आयोजित हुई तृतीय विश्व स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कान्फ्रेन्स (World Conference on Disaster Risk Reduction) "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेनडाई फ्रेमवर्क" (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) के निष्कर्ष के साथ समाप्त हुई। इस कान्फ्रेन्स में भारत सहित दुनिया के 187 देशों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आगामी 15 वर्षों में जनहानि, आजीविका की हानि, सरकारी व व्यक्तिगत सम्पत्तियों तथा पर्यावरण को हुयी हानि को कम करना इस कान्फ्रेन्स के मुख्य निष्कर्ष हैं।

सेनडाई फ्रेमवर्क के अन्तर्गत कियान्वयन हेतु 04 प्राथमिकताओं तथा 07 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इनको कियान्वित किये जाने हेतु प्राथमिक जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गयी है। निर्धारित किये गये 04 प्राथमिकतायें तथा 07 लक्ष्य निम्नलिखित हैं–

चार प्राथमिकतायें (4 Priority Areas)-

प्राथमिकता 1 – आपदा जोखिम को समझना (Understanding disaster Risks)-

इस प्राथमिकता के अन्तर्गत जिलाधिकारी को निम्नलिखित कार्यों को करना चाहिएः–

I. सभी ग्राम प्रधानों तथा नगर आयुक्तों की एक बैठक बुलाकर उनको आपदा प्रबंधन उपायों की आवश्यकता के बारे में संवेदित (Sensitize)करना।
II. किसी भी प्राकृतिक आपदा के पश्चात क्षति का एक डाटाबेस तैयार करना।

प्राथमिकता 2 – आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु शासकीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना (Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk)-

इस प्राथमिकता के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यों को किया जाना चाहिएः–

I. जनपद में भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियम को (Building bye Laws) को स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरणों/अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा कड़ाई में पालन कराया जाये। ऐसे गॉव जहॉ पर भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियम नही लागू होते हैं वहॉ के प्रधान/मुखिया को यह बताया जाना चाहिए कि जो भवन उनके गॉव में बनें वह भूकम्प रोधी एवं बाढ़ प्रतिरोधी हों।
II. बाढ़ एवं भूकम्प से प्रभावित होने वाले शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का चिन्हांकन कर लिया जाय एवं यह भी सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में इन क्षेत्रों में जो भी निर्माण हो उसमें यथा आवश्यकतानुसार भूकम्परोधी/बाढ़ रोधी उपाय शामिल हों।

प्राथमिकता 3– आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में निवेश (Investing in disaster risk reduction for resilience)-

I. जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जनपद में जो भी सरकारी या गैरसरकारी योजना संचालित हो, उसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण तत्वों का समावेश हो ताकि आपदा आने पर वह किसी भी आपदा का सामना कर सके। जनपद के सभी फंड्स का 10 प्रतिशत उन योजनाओं में देना चाहिए जो आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करें जैसे बाढ़ नियंत्रण हेतु बॉध, बाढ़ शरणालय, सूखा से निपटने हेतु लघु सिंचाई व्यवस्था आदि।
II. प्राइवेट बिल्डरों की एक बैठक बुलाकर उनको आपदारोधी निर्माण करने हेतु संवेदित (Sensitize)करना।

प्राथमिकता 4– प्रभावी प्रत्युत्तर हेतु आपदा तैयारी को बढ़ाना (Enhancing disaster preparedness for effective response and to "Build Back Better" in recovery, rehabilitation and reconstruction)-

I. चाहे जनपद में कोई आपदा हुई हो या नहीं, जिलाधिकारी को प्रत्येक तीन माह में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण (डी0डी0एम0ए0) की बैठक बुलानी चाहिए तथा आपदा तैयारी के सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिए।
II. जिलाधिकारी को मानसून के दौरान अर्ली वार्निंग एजेन्सियों के साथ नियमित बैठकें अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक मानसून के चार सप्ताह पूर्व इन एजेन्सियों से बैठक करनी चाहिए।
III. बाढ़/भूकम्प/साइक्लोन आदि आपदाओं से निपटने हेतु जिलाधिकारी को स्टैंडर्ड प्रक्रिया (Standard Procedure) निर्धारित करना चाहिए।
IV. जिलाधिकारी को ग्रीष्म ऋतु में लू–लहर एवं शीत ऋतु में शीतलहर सम्बन्धी तैयारी को जॉचना चाहिए।
V. पुलिस, सिविल डिफेन्स और अग्निशमन सेवा विभाग को सम्मिलित करते हुए नियमित सतयान्तराल पर मॉक ड्रिल (Mock drill) आयोजित कराना चाहिए।
VI. ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता जैसे–आशा, ए0एन0एम0, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाय ताकि आपदा प्रबंधन के प्रति इन्हें संवेदित व तैयार किया जा सके।

सात वैश्विक लक्ष्य (7 Global Targets)-

भारत सरकार द्वारा सेनडाई फ्रेमवर्क के अन्तर्गत कमिटेड सात लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यों को किया जाना होगा–

लक्ष्य 1– आपदा मृत्यु–दर को कम करना (Substantially reduce global disaster mortality by 2030)-

I. जिलाधिकारी द्वारा पूर्व सूचना प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
II. बार–बार मॉकड्रिल के माध्यम से यह जॉचना चाहिए कि किस प्रकार न्यूनतम समय में नदी किनारे तथा खतरे के नजदीक रहने वाले लोगों को चेतावनी दे सकें।
III. विद्यालयों को भूकम्प के खतरे के प्रति तैयार करने के लिये नियमित मॉकड्रिल कराये जायें।

लक्ष्य 2– प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना (Substantially reduce the number of affected people globally by 2030)-

I. जिलाधिकारी द्वारा नदी किनारे के निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को वहॉ से दूर जाने के लिए कहा जाना चाहिए। सभी बन्धों को अतिकमण रहित एवं सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
II. कोई नया निर्माण चाहे वह सरकारी अथवा प्राईवेट सेक्टर का हो, निचले क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो निर्माण हो रहा है वह पर्याप्त ऊॅचाई पर हो ताकि मानसून के दौरान यह डूबे नहीं। ऐसे सभी निर्माण भूकम्प रोधी होने चाहिए।

लक्ष्य 3– आपदा से होने वाली प्रत्यक्ष आर्थिक हानि को कम करना (Reduce direct disaster economic loss in relation to global gross domestic product (GDP) by 2030)-

जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपदा के परिणाम स्वरूप हुई आर्थिक क्षति प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ कम होती जाये। जिलाधिकारी को जनपद के हजार्ड, रिस्क एवं वल्नेरेबिलिटी ऑकलन की सलाह दी जाती है। हजार्ड, रिस्क एवं वल्नेरेबिलिटी ऑकलन के कान्सेप्ट को समझने के लिए कल्पना करें कि भूकम्प यदि एक हजार्ड है तो भवन वल्नेरेबल है

असुरक्षित भवनों का चिन्हांकन करना चाहिए और इसमें रह रहीं जनता को भवनों की संवेदनशीलता के बारे में चेताया जाना चाहिए।

लक्ष्य 4– आधारभूत सेवाओं को ठप होने से बचाना एवं क्रिटिकल संरचनाओं को होने वाली क्षति को कम करना (Substantially reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services)-

इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ऐसी अधिसंरचनाओं को निर्माण किया जाना चाहिए जो भूकम्प एवं बाढ़ का सामना कर सकें। इस हेतु सभी अभियांत्रिकी विभागों की एक बैठक बुलायी जानी चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी योजनाओं (जैसे विद्यालय, अस्पताल, पुल एवं बॉध) की डिजाइन व निर्माण ऐसा हो जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकें।

लक्ष्य 5– आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु स्थानीय रणनीति का विकास करना (Developing local disaster risk reduction strategies)-

इस लक्ष्य के अन्तर्गत जिलाधिकारी को भूगर्भ शास्त्री की सेवाओं से जिले की मैपिंग कराने में मदद लेनी चाहिए जिससे कि यह पता चल सके कि जनपद का कौन सा भाग भूकम्प के दृष्टिगत अधिक प्रवण (प्रोन) है। पूर्व अनुभवों के आधार पर जिलाधिकारी को जनपद की परम्परागत रूप से बाढ़/साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन करना चाहिए, तद्नुसार ऐसे क्षेत्रों में बड़े निवेश वाले प्रोजेक्ट नहीं लगाये जाने चाहिए। और छोटे निर्माण को भी आपदारोधी हों, तभी बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए

लक्ष्य 6– विकासशील देशों में इस फ्रेमवर्क के कियान्वयन हेतु अंतराष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देना। (Substantially enhance international cooperation to developing countries through adequate and sustainable support to complement their national actions for implementation of this framework by 2030)

जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर उपलब्ध आपदा से निपटने में काम आने वाले स्थानीय ज्ञान/तकनीकि व परम्परागत अनुभवों को राज्य सरकार के साथ जरूर साझा किया जाना चाहिए।

लक्ष्य 7– सभी आपदाओं की पूर्व चेतावनी तथा आपदाओं की सूचना सबको प्राप्त हो, इस हेतु व्यवस्था करना (Availability and access to multi-hazard early warning systems and disaster risk information and assessments)

पूर्व चेतावनी प्रणाली

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी को पूर्व चेतावनी ऐजेन्सियों जैसे केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विभाग, और जी0एस0आई0 आदि के साथ बैठक बुलानी चाहिए और इसमें चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से इनके द्वारा दी गयी तकनीकि भाषा में दी गयी पूर्व चेतावनी को सरल एवं समझने लायक सूचना में परिवर्तित कर जन समुदाय तक पहुंचाया जाये। गॉवों, विद्यालयों, सवेदनशील क्षेत्रों और भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों आदि में नियमित मॉकड्रिल करानी चाहिए।

जिलाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन चार प्राथमिकताओं एवं सात लक्ष्यों पर कार्य करेंगें जिससे कि भारत इन लक्ष्यों को आने वाले 15 वर्षों में प्राप्त कर सके।